कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफंस कॉलेज बिल्डिंग,

कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

<u>प्रेस नोट</u>

- **मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन 01.01.2023 योग्यता तिथि के रूप में, 09.11.2022 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो गया है**

- **विशेष सारांश संशोधन - 2023 का प्राथमिक उद्देश्य नए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करना है जिन्होंने दिनांक 01.01.2023 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या पूरी करने जा रहे हैं: सीईओ, दिल्ली**

- **विशेष सारांश संशोधन-2023 का उद्देश्य मतदाताओं के विवरण में सुधार के अवसर देना और मतदाता सूची में किसी भी गलत समावेश के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करना है: डॉ रणबीर सिंह**

- **प्रपत्र-8 के माध्यम से ईपीआईसी के सुधार/प्रतिस्थापन/पीडब्ल्यूडी की मार्किंग के लिए आवेदन करें**

- **सीईओ, दिल्ली ने 01.04.2023, 01.07.2023 और 01.10.2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी नए आवेदकों से फॉर्म-6 में आवेदन करने की अपील की;**
- **प्रत्येक मतदान केन्द्र में चुनाव पाठशाला का एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया जहां बीएलओ ने बूथ स्तर के एजेंटों और अन्य सदस्यों को ड्राफ्ट रोल पढ़ा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपने-अपने जिलों की एक चुनाव पाठशाला में विशेष सत्र में शामिल हुए**

- **नेहरू युवा केंद्र और नागरिक सुरक्षा के लगभग 700 स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ राजघाट पर मानव श्रृंखला जागरूकता अभियान का आयोजन किया**

- **माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री. राजीव कुमार और माननीय चुनाव आयुक्त श्री. अनूप चंद्र पांडे ने विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर-2023) की महत्वपूर्णता को उजागर करने के लिए पुणे, महाराष्ट्र में विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लिया**

- **माननीय आयोग ने पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम से एक साइकिल रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया; सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय में मतदाता जागरूकता संदेशों पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन**

- **एसी वार ड्राफ्ट मतदाता सूची www.ceodelhi.gov.in और सभी मतदान केंद्रों पर भी उपलब्ध है: सीईओ, दिल्ली**

नई दिल्ली **दिनांक: 09.11.2022**

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. रणबीर सिंह ने आज बताया कि मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त संशोधन **01.01.2023** योग्यता तिथि के रूप में, **09.11.2022** को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी **70** विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि SSR-2023 के राष्ट्रीय लॉन्च के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त एस. राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री. अनूप चंद्र पांडे ने पुणे, महाराष्ट्र में विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लिया। माननीय आयोग ने एसएसआर का शुभारंभ करने के लिए पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम से शुरू हुई साइकिल रैली में भाग लिया और पूरे देश के युवाओं को मतदाता के रूप में नामांकन करने और हर चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। फिल्म निर्देशक और निर्माता नागराज मंजुले और ओलंपियन निशानेबाज अंजलि भागवत जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए भाग लिया। सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय में मतदाता जागरूकता संदेशों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। माननीय आयोग ने हिंगवाड़ी में पुणे के सभी मतदाता जागरूकता मंचों के नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनसे मतदाता शिक्षा के माध्यम से शहरी उदासीनता की समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया।

विशेष सारांश संशोधन-**2023** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्नानुसार किया जाएगा: -

क्रमांक	कार्यकलाप	दिनांक
1.	**एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन।**	09.11.2022 (**बुधवार**)
2.	**दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि**	09.11.2022 (**बुधवार**) **से** 08.12.2022 (**गुरुवार**)
3.	**सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान**	12.11.2022 (**शनिवार**) **और** 13.11.2022 (**रविवार**)
4.	**दावों और आपत्तियों का निपटान**	26.12.2022 (**सोमवार**) **तक**
5	**मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन**	05.01.2023 (**गुरुवार**) **को**

डॉ. सिंह ने आगे कहा कि विशेष सारांश संशोधन - 2023 का प्राथमिक उद्देश्य दिनांक 01.01.2023 के संबंध में नए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करना है, जिन्होंने दिनांक 01.01.2023 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या प्राप्त करने जा रहा है। विशेष सारांश संशोधन-2023 का एक अन्य उद्देश्य मतदाताओं के विवरण में सुधार के अवसर देना और मतदाता सूची में किसी भी गलत समावेश के खिलाफ आपत्तियां आमंत्रित करना भी है।

एक अन्य प्रावधान विशेष सारांश संशोधन - **2023** से किया गया है। एक योग्य नागरिक, जो वर्ष **2023** में बाद की किसी भी योग्यता तिथि पर अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने जा रहा है, अर्थात **1** अप्रैल, **2023, 1** जुलाई **2023** या **1** अक्टूबर, **2023,** नोटिस की तारीख से शुरू होकर, अग्रिम रूप से, फॉर्म **-6** में, रोल में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना दावा दर्ज कर सकते हैं और उस पर संबंधित योग्यता तिथि के संदर्भ में वर्ष की संबंधित तिमाही में विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने बताया।

1. **पिछली बार प्रकाशित मतदाता सूची के साथ डेटा तुलना**

श्रेणी	अंतिम बार 05.01.2022 को प्रकाशित अंतिम रोल (योग्यता दिनांक 01.01.2022)	ड्राफ्ट रोल 09.11.2022 को प्रकाशित (योग्यता दिनांक 01.01.2023)	परिवर्तन (+/-)
अनुमानित जनसंख्या	2,09,24,629	2,12,59,423	(+) 3,34,794
पुरुष मतदाताओं की संख्या	81,38,593	79,96,401	(-) 1,42,192
महिला मतदाताओं की संख्या	67,59,534	66,93,292	(-) 66,242
थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या	1032	1063	(+) 31
कुल मतदाताओं की संख्या	1,48,99,159	1,46,90,756	(-) 2,08,403
18-19 मतदाता	1,15,146	95,708	(-) 19,438
ईपी अनुपात	71.20	69.10	(-) 2.10
लिंग अनुपात	831	837	(+) 06
ईपीआईसी	100%	100%	कोई परिवर्तन नहीं
पीईआर	100%	100%	कोई परिवर्तन नहीं

2. **अन्य जानकारी**

क्रमांक	सूचना का प्रकार	दिनांक 09.11.2022 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार
1	कुल विधानसभा क्षेत्र	70
2	कुल संसदीय क्षेत्र	07
3	सबसे अधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र	एसी-34 (मटियाला) 4,26,721 मतदाताओं के साथ
4	सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र	एसी -38 (दिल्ली कैंट) 76,397 मतदाताओं के साथ
5	राज्य के लिंग अनुपात से अधिक लिंग अनुपात वाले विधानसभा क्षेत्र की संख्या (837)	34
6	राज्य के लिंग अनुपात से कम लिंग अनुपात वाले विधानसभा क्षेत्र की संख्या (837)	36
7	उच्चतम लिंग अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र	955 के लिंग अनुपात के साथ तिलक नगर (एसी-29)
8	सबसे कम लिंग अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र	696 के लिंग अनुपात के साथ तुगलकाबाद (एसी-52)
9	राज्य के औसत से अधिक ईपी अनुपात वाले विधानसभा क्षेत्र की संख्या (69.10)	32
10	राज्य के औसत से कम ईपी अनुपात वाले विधानसभा क्षेत्र की संख्या (69.10)	38
11	उच्चतम ईपी अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र	एसी-54 (ओखला) 90.14
12	सबसे कम ईपी अनुपात वाला विधानसभा क्षेत्र	एसी-40 (नई दिल्ली) 35.71
13.	विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्रों के उच्चतम संख्या के साथ।	एसी-31 (विकास पुरी) - 377 PS
14.	विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्रों के न्यूनतम संख्या के साथ।	एसी-38 (दिल्ली कैंट) -100 PS

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि विधानसभा क्षेत्रानुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची विभाग की वेबसाइट **www.ceodelhi.gov.in** पर उपलब्ध है। मतदाता सूची निर्दिष्ट स्थानों (सभी मतदान केन्द्र) पर भी उपलब्ध है, जिनकी विधानसभा क्षेत्रानुसार सूची हमारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटा दिया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को उसके नाम को हटाने के खिलाफ अपील दायर कर सकता है या मतदाता सूची के सारांश संशोधन के दौरान किसी भी समय मतदाता सूची में उसका नाम शामिल करने के लिए या फॉर्म -6 जमा कर सकते हैं।

सीईओ दिल्ली ने आगे बताया कि एसएसआर-**2023** के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राजघाट पर एक मानव श्रृंखला जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया जिसमें नेहरू युवा केंद्र और नागरिक सुरक्षा के लगभग **700** स्वयंसेवकों ने पूरी ताकत से भाग लिया. उन्होंने यह भी बताया कि आज प्रत्येक मतदान केंद्र में चुनाव पाठशाला का एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया, जहां बीएलओ ने बूथ स्तर के एजेंटों और अन्य सदस्यों को ड्राफ्ट रोल पढ़ा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपने-अपने जिलों में एक चुनव पाठशाला में विशेष सत्र में शामिल हुए । आज जिला/एसी स्तर पर कैम्पस एंबेसडर और उनके चुनावी साक्षरता क्लबों और मतदाता जागरूकता मंचों के नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई।

सीईओ, दिल्ली डॉ. रणबीर सिंह ने बताया कि मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त संशोधन अभियान के तहत , बस क्यू शेल्टर, यूनिपोल, डिजिटल स्क्रीन, होर्डिंग्स के माध्यम से आउटडोर मीडिया अभियान, एफएम चैनलों पर रेडियो जिंगल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान, कार्यक्रम में फोन, जागरूकता अभियान के प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता अभियान। सार्वजनिक उपयोगिता बिलों पर स्वीप क्रिएटिव, टीईआरएम के माध्यम से सीएसआर योजना के तहत दिल्ली के मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एसएमएस, मतदाता पंजीकरण बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ की सेवाएं, विशेष रथ/वाहन, सार्वजनिक सूचना और हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में विज्ञापन, बैनर, स्क्रॉल चलाना डीटीसी बसों, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर, ऑनलाइन सम्मेलनों के माध्यम से युवाओं को जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग, एटीएम/मदर डेयरी बूथ/आदि में बैनर/क्रिएटिव का प्रदर्शन ., स्पोर्ट्स इवेंट, सीईओ दिल्ली का अपील पत्र, दिल्ली हाट में स्टाल, आईटीपीओ, आईएचसी, जिमखाना क्लब, सीएसओआई, ईसीआई बाउंड्री, दिल्ली में प्रतियोगिताएं (कविता, वीडियो बनाना और नारा), आदि दिल्ली में शुरू कर दिया गया है।

डॉ. सिंह ने निम्न बातों पर जोर दिया:

1. सभी नए आवेदक जो **01.01.2023, 01.04.2023, 01.07.2023** और **01.10.2023** तक **18** वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले है, कृपया फॉर्म **-6** द्वारा आवेदन करें।

2. फ़ार्म **-8** के माध्यम से सुधार/ईपीआईसी का स्थानांतरण/प्रतिस्थापन/पीडब्ल्यूडी की मार्किंग के लिए आवेदन करें।

3. कभी भी एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में नाम न रखें। फॉर्म **-7** के माध्यम से एकाधिक प्रविष्टि (ओं) को हटाने के लिए आवेदन करें।

I. ईसीआई के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल **www.nvsp.in** / **https://voterportal.eci.gov.in** या मतदाता हेल्पलाइन ऐप / पीडब्ल्यूडी ऐप (दिव्यांग) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

II. इन वेबसाइटों से निर्धारित फ़ार्म डाउनलोड करें या किसी भी मतदाता केंद्र से प्राप्त करें और अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाता केंद्र या अपने मतदान केंद्र स्थान पर जमा करें, जिसकी सूची **www.ceodelhi.gov.in** पर उपलब्ध है।

4. सतर्क रहें और मतदाता सूची में अपना नाम जांचें

I. SMS के माध्यम से: **SMS ECI<स्पेस>**मतदाता पहचान संख्या **1950** पर भेजें।

II. ऑनलाइन : हमारी वेबसाइट **https: //electoralsearch.in** पर जाएँ।

III. मोबाइल ऐप : "मतदाता हेल्पलाइन" नाम और अन्य चुनावी सेवाएं दोनों खोजने के लिए।

विकलांग व्यक्तियों के लिए पीडब्ल्यूडी ऐप (ईसीआई का पूरी तरह से सुलभ मोबाइल ऐप)

IV. हेल्पलाइन: **1950** पर कॉल करें।

****